



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 2006.....

दिनांक/Date.: 20.02.2020

॥ कार्यालय ज्ञाप ॥

विषय:- फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग कर ओएमआर शीट की फोटो लेने तथा उसे सोशल मीडिया में अपलोड करने के कारण कार्रवाई के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 16.02.2020 को आयोजित फॉरेस्ट गार्ड पद की लिखित परीक्षा के उपरांत सोशल मीडिया पर दो फोटो प्रसारित हुए थे जिनमें से एक फोटो अनुक्रमांक संख्या-1223672277 का मूल ओएमआर शीट का था।

समाचार पत्रों में इसके प्रसारण के उपरांत यह अभ्यर्थी अनुक्रमांक संख्या-1223672277, नाम-श्री जसपाल शर्मा, पुत्र श्री रोशन लाल, पता ग्राम-फतेहपुर, शिव मंदिर, विकास नगर, देहरादून आयोग कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा उन्होंने अपने लिखित कथन के द्वारा अवगत कराया कि "फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के बारे में दिनांक 17.02.2020 में छपी खबरों के कारण मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। Social Midea में जो OMR Sheet है वह मेरी है। यह फोटो मेरे द्वारा शाम की पाली में परीक्षा समाप्त होने के उपरांत लिया गया क्योंकि तृतीय प्रति में गोलों के निशान नहीं छप रहे थे। यह फोटो मैंने तब लिया जब कक्ष निरीक्षकों द्वारा मेरा फोन परीक्षा के बाद वापस कर दिया गया था। इसके बाद रात को करीब आठ बजे मेरे द्वारा इस OMR Sheet को Whatsapp पर Forest Guard के ग्रुप पर Share कर दिया। मैंने किसी भी गड़बड़ी की नियत से यह कार्य नहीं किया है।"

परीक्षा के दौरान इस तरह का व्यवहार परीक्षा की शुचिता व गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा है। अभ्यर्थी के इस कृत्य से आयोग एवं राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हुयी है। यह व्यवहार आयोग की परीक्षाओं में स्वीकार्य नहीं है।

इस दृष्टि से श्री जसपाल शर्मा, पुत्र श्री रोशन लाल, पता ग्राम-फतेहपुर, शिव मंदिर, विकास नगर, देहरादून, अनुक्रमांक संख्या-1223672277 के अभ्यर्थी का अभ्यर्थन इस परीक्षा के लिए निरस्त किया जाता है तथा उन्हें आयोग की परीक्षाओं से अगले 03 वर्ष के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जाता है।

(संतोष बडोनी)
सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अभ्यर्थी श्री जसपाल शर्मा, पुत्र श्री रोशन लाल, पता ग्राम-फतेहपुर, शिव मंदिर, विकास नगर, देहरादून, अनुक्रमांक संख्या-1223672277 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

20/2/20
(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता